यालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

/18

तारीखरजू:-10.08.2018

उनवानः– भॅवर लाल बनाम ओमप्रकाश वगै0

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212

फर्द अहकाम

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री मदनमोहन शर्मा एडवोकेट हाजिर प्रार्थी अधिवक्ता के इस अनुरोध पर कि प्रकरण अत्यावश्यक प्रकृति का है तथा प्रार्थीगण के पक्ष मे अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नही किये जाने पर वाद व प्रार्थना पत्र का उद्देश्य की असफल हो जायेगा। प्रार्थना पत्र अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा के बिन्दू पर वकील प्रार्थीगण को सुना गया। वकील प्रार्थीगण का कथन है कि अप्रार्थीगण प्रश्नगत भूमि मे सायलान को कब्जा काश्त मे मजाहमत मदाखलत व रहन व्यय करने को आमदा हो रहे है। प्रार्थी के पक्ष मे अंतरिम निषेधाज्ञा जारी की जावे। प्रार्थना पत्र की प्रकृति एवं आकस्मिकता को देखते हुए अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किया जाता है। कि आगामी पेशी दिनांक 24.09.2018 तक विवादग्रस्त आराजी ख0न0 32/0.15, 63/0.30, 120/0.09, 214/0.18, 958/0.18, 1765/0.10, कुल किता 6 रकवा 1.00 ग्राम खोहरा तहसील टोडाभीम जिला करौली की भूमि मे प्रार्थीगण के हिस्से मे मौके की यथास्थिति आगामी सुनवाई तिथि तक बनाए रखे। आगामी सुनवाई तिथि पर दूसरे पक्ष को सुने जाने के उपरान्त स्थगन बावत निर्णय किया जावेगा।

प्रार्थीगण को निर्देशित किया जाता है। कि अप्रार्थीगण के नोटिस तामिल को सामान्य व साधारण प्रकिया के साथ–साथ अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र दस्तावेज व नोटिस आदि की प्रतिया रजिस्टर्ड डाक से भिजवाना सुनिश्चित करे। तथा आगामी पेशी पर इस आशय का शपथ पत्र तथा रसीद प्रस्तुत भी करे। तथा बहस हेतु तैयार नही होने पर आगामी सुनवाई को अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः निष्प्रभावी मानी जावेगी। प्रकरण को स्वच्छ हाथो से प्रस्तुत किया हुआ मानकर तथा एक पक्षीय सुनवाई के आधार पर न्यायालय के विवेकाधीन शक्तियो के तहत यह अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। लिहाजा प्रार्थीगण से यह अपेक्षा की जाती है। कि वह उपरोक्तानुसार अप्रार्थीगण पर एक पक्षीय आदेश की तामिल की उपर्युक्तानुसार ठोस कार्यवाही कर इस न्यायालय को प्रमाण पेश करे। तथा आदेश 39 नियम (3) (क) के प्रावधानो की पालना सुनिश्चित करे। अन्यथा अंतरिम आदेश को आईन्दा तारीख पेशी तक विस्तारित करने से पूर्व न्यायालय अपने विवेकाधिकार एवं अंतर्निहित शक्तियो का प्रयोग करेगा। जिन परिस्थितियो मे यह अंतरिम निषेधाज्ञा पारित की गई है, मे परिवर्तन की दशा मे संशोधित/वैकेट कर दीं जावेगी। अप्रार्थीगण को जरिए रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 24.09.2018 को पेश हो।

2906-08
10/8/18

उप जिला कलक्टर
टोडाभीम जिला करौली

Scanned by CamScanner

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम

दिनांक	फर्द अहकाम
3.12.19	वकुलाय उप० / वास्ते बहस दिनांक 19.12.19 को पेश हो।
19.12.19	वकुलाय उपस्थित/पीठासन अधिकारी चुनाव कार्य में करौली पधारे है। अतः पत्रावली गतानुसार दिनांक 22.1.20 को पेश हो।
22.1.20	~~वादी वकील~~/वकील उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी प्रोटोकाल में पधारे हैं पत्रावली गतानुसार दिनांक 23.1.20 को पेश हो।
23.1.20	वकील उभयपक्ष उपस्थित। मूलदावा प्राथमिक डिक्री हो चुका है। वकील उभयपक्ष ने इस प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को आगे चलाना नहीं चाहते हुए खारिज करने का कथन किया। अतः प्रार्थना पत्र आगे नहीं चलाते हुए खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दावा पत्रावली के साथ संलग्न रहे। उपजिला कलक्टर टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Durga Prasad Meena
Date: 2020.01.29 15:27:50 IST
Reason: SelfAttested
Location: